

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 615]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 अगस्त 2025 — श्रावण 16, शक 1947

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 15-11/15-02/2025/3/1876.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला-बलौदा बाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025” विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-11/15-02/2025/3/1054 दिनांक 02.04.2025 जारी की गई थी।

(2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत “प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025” के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची-एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है।

(3) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2025 की कंडिका 05-(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा, जिला-बलौदा बाजार-भाटापारा के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची-एक, दो एवं तीन को जारी करता है। संबंधित सदस्य/व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग को संबोधित करते हुए “कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय, ब्लॉक-बी, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन-492002” में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 22.08.2025 तक प्रस्तुत कर सकेंगे। लिफाफे के ऊपर “जिला-बलौदा बाजार-भाटापारा की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन हेतु अभ्यावेदन/दावा या आपत्ति” अंकित किया जावे। निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा।

(4) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर, “जिला बलौदा बाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025” की अनुसूची-एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

संलग्न :- अनुसूची-एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.आर. प्रसन्ना, सचिव.

जिला बलौदा बाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी
सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025

अनुसूची – एक

संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)
(1)	(2)	(3)	(4)
निरंक			

जिला बलौदा बाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों
की पुनर्गठन योजना 2025

अनुसूची – दो

संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कटगी	सर्वा	सर्वा
			बैजनाथ
2	छेछर	मल्दा	मल्दा
			मुडपार
			मडकड़ा
			छबडी
			पिकरी
			मल्दी
			थरहीडीह
3	हसुवा	कोटियाडीह	कोटियाडीह
			मोहतरा ह
			गिधौरी
			अमलीडीह
4	मुढीपार	बल्दाकछार	बल्दाकछार
			अर्जुनी
			अवराई
			बरबसपुर
			रीवासरार
			रिवाडीह
			बरेकेल
5	बया	कोसमसरा(ब)	कोसमसरा (ब)
			चेचरापाली
			धमलपुरा
			पकरीद
			नवाडीह

			देवपुर
			गिधपुरी
			तेदुचुवा
6	खैरा	कुशगढ़	कुशगढ़
			कुशभाठा
			भानपुर
7	डमरू	ताराशिव	ताराशिव
			अमलकुंडा
			मुसुवाठोड़ी
8	लवन	बम्हनपुरी	बगबुडा
			बम्हनपुरी
			ढाबाडीह
9	लाहौद	गिंदोला	गिंदोला
			डोटोपार
			भरसेला नया
			धौराभाठा
			घुलघुल
10	तिल्दा	करदा	करदा
			कोरदा
11	रसेड़ा	खैदा	खैदा
			बेमेतरा
			मुडियाडीह
			खैरी
			सेम्हराडीह
			छुईया
12	करमदा	धवंई	धवंई
			नयापारा
			पुरेना
			बुडगहन
13	बिटकुली	पनगांव	पनगांव
14	कौहरौद	धाराशिव	धाराशिव
			कुम्हारी
			कैलाशगढ़

15	कोदवा	ससहा	ससहा
			संकरी (स)
			सुन्द्री
16	जर्वे	सुन्द्रावन	सुन्द्रावन
			मतवारी
17	दतरेंगी	ओडान	ओडान
			धौराभाठा
18	बलौदी	टिपावन	टिपावन
			लकडिया
			नवागांव
19	भवानीपुर	खपरी	भरुवाडीह
			खपरी भ
			मोहान
			बिजराडीह
			तमोरी
			बोदा
20	रोहांसी	अमेठी	अमेठी
			टेमरी
			खैरा
			खैरवारडीह
21	कोसमंदी	अछोली	अछोली
			गातापार
22	खोखली	टिकुलिया	टिकुलिया
			ढाबाडीह
			धौराभाठा
			पेण्डरी
23	निपनिया	कोनी,	कोनी
			कोदवा
			बंजर
			बगबुडवा
24	खैरा	बिटकुली	बिटकुली
			पासीद
			चमारगुड़ा
25	फरहदा	जरौद	जरौद

			सोनबरसा
26	शिकारीकेसली	गोरदी	गोरदी
			सिनोधा
27	सकलोर	भटभेरा	भटभेरा
			बुडगहन
			धोबनीडीह
28	डोंगरिया	केसदा	केसदा
			झिरिया
29	विश्रामपुर	मर्काकोना	मर्काकोना
			संजारी नवांगाव
			गणेशपुर
			बम्हनीडीह
30	सिमगा	कचलोन	कचलोन
			तेन्दुभाठा
31	तुलसी	तोरा	तोरा
			चक्रवाय
32	कसडोल	मोहतरा	चरौदा
			मोहतरा क
			दर्दा
			रानिमोहतरा
			चाटीपाली
			चिचपोल
			गोरधा
33	छरछेद		देवरीखुर्द
34	बरदा	चिचिरदा	चिचिरदा
			कशियारा
35	अहिल्दा		परसाडीह
36	धुराबांधा	खैरी(आर),	खैरी(आर)
			आलेसुर
			बिजाभाट
			गोगिया
			राजाढार
			खपराडीह

37	लेवई	कोटमी,	अकोली
			अम्लीडीह
			परसवानी
			कोटमी
			कुम्हरखान
38	खैरी (क)	बेंदरी	कोसमंदा
			पौंसरी
			अचानकपुर
			बेंदरी
39	जांगड़ा	दावनबोड	दावनबोड
40	रोहरा		बुचीपार
		कोलिहा	कोलिहा
			ढाबाडीह
			देवरीडीह
41	केसला	करहीबाजार	करहीबाजार
			राजपुर
			बम्हनीडीह
			ओटेबंद
			लालपुर
			रामपुर

जिला बालौदा बाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों
की पुनर्गठन योजना 2025

अनुसूची – तीन

संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)	नवीन सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बार	आमगांव		मोहदा
		ढेबी		
		रवान		
		मुरुमडीह		
		लोरिदखार		
		ढेबा		
		मोहदा		
		गजराडीह		
		छतालडबरा		
		कौहाबहरा		
		दलदली		
		तालाझर		
		अल्दा	मुढीपार	